

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

सं०-मं०-०१/आर.-०३/२००९...../दिनांक-.....

**संकल्प**

राज्य सरकार द्वारा दो विभागों या विभिन्न विभागों के बीच या विभिन्न विभागों के लोक-उपक्रमों के बीच के विवाद के निपटारे हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्न प्रकार होगी :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | मुख्य सचिव                               | — | अध्यक्ष |
| 2. | विकास आयुक्त                             | — | सदस्य   |
| 3. | प्रधान सचिव, वित्त विभाग                 | — | सदस्य   |
| 4. | सचिव, विधि विभाग                         | — | सदस्य   |
| 5. | प्रधान सचिव/सचिव<br>(संबंधित विभागों के) | — | सदस्य   |

2. विवाद से संबंधित विभाग समिति को सचिवालय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना हेतु "बिहार गजट" में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

\*

ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं०-०१/आर.-०३/२००९...../दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की मुद्रित ५०० प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं०-०१/आर.-०३/२००९ ३५३ /दिनांक- २३/०९

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/वित्त आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/विधि सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव



